राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर

क्रमाक प.2(180)/ओ एण्ड एम/संविदा/आ.कृ./2022/6457-84 दिनांक 08.04.2022

निदेशक, स्याम/समेति (आत्मा) दुर्गापुरा, जयपुर।
समस्त संयुक्त निदेशक कृषि, दुर्गापुरा/(वि0), खण्ड।
उप सचिव, राजस्थान किसान आयोग, राज0 जयपुर।

विषयः– राज्य के समस्त निगम/बोर्ड/उपकम/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशषी संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग (A,Gr.-ii) की अधिसूचना कमांक F.17(4)DOp/A-2/2014 दिनांक 11.01.2022 से जारी नियमों को एडॉपट करने बाबत्।

प्रसंग :– वित्त (नियम) विभाग के अ.शा.टीप कमांक पत्र13(10)वित्त/नियम/2022 दिनांक 30.03.2022

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अशा.टीप के साथ संलग्न दिशा–निर्देशानुसार संविदा पर कार्मिक रखे जाने (नवीन अथवा पूर्व से नियोजित) हेतु प्रकिया की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(के0 सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमाक प.2(180)/ओ एण्ड एम/संविदा/आ.कृ./2022/6457-84 दिनांक 08.04.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज कृषि, राज0 जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार कृषि, मुख्यालय।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान/अनुसंधान/विस्तार), मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक कृषि (आरकेवीवाई/जल उपयोग प्रकोष्ठ), मुख्यालय।
5. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. केयर टेकर, मुख्यालय।
7. आरक्षी पंजिका।

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
वित्त (नियम) विभाग

विषयः– राज्य के समस्त निगम/बोर्ड/उपक्रम/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशाषी संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग (A.Gr.-II) की अधिसूचना क्रमांक F.17(4)DOP/A-2/2014 दिनांक 11.01.2022 से जारी नियमों को एडॉप्ट करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022–23 के बजट में बिन्दु संख्या *128 के द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई है।*

*"हमारी सरकार संविदा कार्मिकों के हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है। इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी, 2022 को **Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022** लागू किये गये हैं। इसी के साथ ही, पूर्व कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाये जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है,"*

उक्त घोषणा की क्रियान्विति राज्य के सभी विभागों एवं निगम/बोर्ड/उपक्रम/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा की जानी है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय विभागों में अनुबंध आधारित नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु कार्मिक विभाग (A.Gr.-II) की अधिसूचना क्रमांक F.17(4)DOP/A-2/2014 दिनांक 11.01.2022 के द्वारा Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 पूर्व में ही जारी हो चुके हैं। उक्त की निरंतरता में समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशानुसार उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न निगम/बोर्ड/उपक्रम/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 को संबंधित स्वायत्तशाषी संस्था के Governing Board की प्रथम बैठक में एडोप्ट किया जाकर संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाये जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
समस्त विभाग।

अशा.टीप.क्रमांकः प.13(10) वित्त/नियम/2022 दिनांकः 10 MAR 2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को उनकी अधिसूचना क्रमांक F.17(4)DOP/A-2/2014 दिनांक 11.01.2022 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु नियंत्रणाधीन विभागों/निगमों/बोर्डों में उक्त की पालना सुनिश्चित करावें।

2 प्रमुख शासन सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आंने वाले बोर्ड/निगम/उपक्रम इत्यादि में बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु उक्त की पालना सुनिश्चित करावें।

10/3/22
(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (नियम)

राजस्थान सरकार
राजकीय उपक्रम विभाग
राजकीय उपक्रम ब्यूरो

क्रमांक:एफ 2(12)बीपीई/संविदाकर्मी/2022/166 जयपुर, दिनांक : 11/3/22

प्रतिलिपि :— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, समस्त राजकीय उपक्रमों को प्रेषित कर निवेदन है कि वित (नियम) विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना कर ब्यूरो को सूचित कराने का श्रम करावें।

(कीर्ति जैन)
संयुक्त शासन सचिव

दिशा–निर्देश

राज्य में विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों/निगमों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट अवधि के लिए संविदा पर कार्मिकों को रखे जाने एवं उनकी सेवा शर्तों के नियमन के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 2022 (The Rajasthan Contractual hiring to civil posts Rules 2022) जारी किए गए हैं।

इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक रखे जाने (नवीन अथवा पूर्व से नियोजित) हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

1. राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 2022 इन नियमों के जारी होने के पश्चात् संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के साथ ही इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को नियुक्त संविदा कार्मिकों जिनका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवदेन पत्र आमंत्रित किया गया हो, पर लागू होंगे।

2. इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने से पूर्व वित्त विभाग से पद सृजित करवाया जाना आवश्यक होगा। अतः सभी विभाग अपने अधीन परियाजनाओं/कार्यक्रमों में संविदा के पदों की विस्तृत सूची तैयार कर वित्त विभाग से पद सृजित करवाएंगे तथा इन नियमों के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार ऐसे पदों को अधिसूचित करेंगे।

3. विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदात्मक पद पहले से सृजित हैं, इन पदों को इन नियमों के दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेकर इन पदों को नियम 4 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। नियम 4 के तहत पद अधिसूचित करने के समय पद की अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात् पद की आवश्यकता रहने पर वित्त विभाग से पद की अवधि बढ़ाते हुए पुनः अधिसूचित किया जाएगा।

4. जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को पहले से नियोजित है उन्हें विभाग द्वारा वित्त विभाग से पद सृजित करवाने एवं अधिसूचित करने के पश्चात इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी करते हुए पुनः अनुबंधित किया जाएगा।

5. पहले से रखे गये संविदा कार्मिकों को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इसे नवीन संविदा माना जायेगा। पुरानी संविदा सेवा के आधार पर वेतन नियतन के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय किया जायेगा।

6. इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी भी संविदात्मक पद पर नियुक्ति सार्वजनिक विज्ञापन करने के पश्चात एवं पूर्व निर्धारित पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण प्रावधानों की पालना करते हुए की जायेगी।

7. इन नियमों के तहत रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान में राज्य में विभिन्न वर्गों को देय आरक्षण प्रावधान निम्नानुसार है:–

- अनुसूचित जाति–16 प्रतिशत, अनूसूचित जनजाति–12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग–21 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग–5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–10 प्रतिशत।
- क्षैतिज आरक्षण– महिलाओं के लिए उनकी श्रेणी में 30 प्रतिशत, दिव्यांगजन– 4 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक–राज्य सेवा में 05 प्रतिशत, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में 12.5 प्रतिशत, चतुर्थ श्रेणी सेवा में–15 प्रतिशत।
- सभी नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा संविदा कार्मिकों के संबंध में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 24.02.2020 में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिकाएं संधारित की जाएगी।

8. संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिक को वित्त विभाग की सहमति उपरान्त प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित एक निश्चित वेतन प्रदान किया जायेगा।

9. उपरोक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में संविदा कार्मिकों के नियमन की क्रियान्विति हेतु निम्नांकित तालिका में उल्लेखित की गई निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से कार्यवाही पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जायेगी:–

क्र.स.	विवरण	
1.	विभिन्न निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/ [illegible] राजस्थान सिविल पदों पर संविदा [illegible] Rajasthan Contra[illegible] Governing Boa[illegible] जाने की कार्यवाही।	
2.	इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाये जाने हेतु वित्त विभाग से पद सृजित कराने की कार्यवाही।	15 दिवस
3.	पहले से ही सृजित संविदात्मक पदों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 2022 के दायरे में लाने के लिए नियम 4 के तहत अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही।	15 दिवस
4.	संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग किये जाने की कार्यवाही।	एक माह